(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आम निवासियों का एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने तथा उसके आधार पर राष्ट्रव्यापी बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्राम सभाओं तथा वार्ड समितियों द्वारा ‘सामाजिक मूल्यांकन’ की प्रक्रिया का बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र के लिए उपयोग किया जाएगा तथा उस प्रक्रिया के लिए अन्य प्रमाण के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सिद्ध हो और भारतीय नागरिकता के प्रमाण के तौर पर उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) : जी हां । सरकार ने देश में सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित जानकारी को एकत्र करके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है । इसमें नागरिक तथा साथ ही साथ गैर नागरिक भी शामिल होंगे । राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में ऐसे सभी सामान्य निवासियों जोकि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, के फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप तथा 2 आइरिस प्रिंट भी होगी । राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत निवासी पहचान (स्मार्ट) कार्डों को जारी करने से संबंधित वित्तीय प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के विचाराधीन है ।**

**(ख) और (ग) : जी, हां । एनपीआर डाटा बेस जिसमें जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़े शामिल होंगे, के दोहराव को रोकने तथा विशिष्ट पहचान संख्यांक (आधार) जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भेजा जाएगा । इसके पश्चात आपत्तियों और दावे आमंत्रित करने के लिए आधार नम्बर सहित सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) को स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । एलआरयूआर को सामाजिक विधीक्षा के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति के समक्ष भी रखा जाएगा । दावों और आपत्तियों से संबंधित कार्य पटवारी, तहसीलदारों और कलेक्टरों/डीएम जैसे राजस्व अधिकारी द्वारा देखा जाएगा जिन्हें क्रमश: स्थानीय रजिस्ट्रारों, उप जिला रजिस्ट्रारों और जिला रजिस्ट्रारों के रुप में पदनामित किया गया है । तथापि यह कानूनी प्रवर्तक अभिकरणों या रजिस्ट्रारों द्वारा स्वत: उठाए गए दावों/आपत्तियों को बाधित नहीं करेगा । संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें जांच के लिए अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं तथा वे सत्यापन की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस थानों या ग्राम चौकीदारों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं । निवासी पहचान (स्मार्ट) कार्डों में यह डिस्क्लेमर भी होगा कि यह कार्ड कार्डधारक को नागरिकता का आधार प्रदान नहीं करता है ।**